

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
-:अधिसूचना :-

अ0सं0-3/अ0प्र0-1-127/2022

6554

/पटना, दिनांक- 23.12.25

बेगूसराय जिलान्तर्गत साहेबपुर कमाल प्रखंड में कार्य प्रमंडल, बलिया के अधीन नाबार्ड ऋण संपोषित राज्य योजनान्तर्गत बुढ़ी गंडक नदी पर आहो कृति टोला चौकी एवं विष्णुपुर आहोक के बीच निर्मित 8 X 24.75 मी0 आकार के उच्च स्तरीय पुल के पियर P1 एवं P2 के बीच का डेक स्लैब टूट कर नदी में गिर जाने की घटना की जाँच अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति द्वारा की गयी। अभियंता प्रमुख के पत्रांक-2950 अनु0 दिनांक-20.12.2022 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आलोच्य पुल के पियर P1 तथा P2 के बीच के Super Structure का स्पैन तीनों मेन गर्डर के बीचों बीच टूट जाने के कारण क्षतिग्रस्त होकर नदी में गिरा हुआ पाया गया। जाँच प्रतिवेदन में पियर P1 एवं P2 के बीच का स्पैन अपने Self load के कारण ही क्षतिग्रस्त हुआ है, जो कार्य के खराब गुणवत्ता को प्रमाणित करता है, से संबंधित समीक्षात्मक निष्कर्ष अंकित था।

2. उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक-2214 अनु0 दिनांक-23.12.2022 द्वारा श्री रंजीत कुमार भारती, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया सम्प्रति सहायक अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, आरा से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री भारती से प्राप्त स्पष्टीकरण को समीक्षोपरांत अस्वीकार योग्य पाते हुए अधिसूचना सं0-94-सह-पठित ज्ञापांक 95 दिनांक 10.01.2023 द्वारा निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया गया। साथ ही इनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर गठित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय अधिसूचना सं0-119 सह-पठित-ज्ञापांक 120 दिनांक 12.01.2023 द्वारा मुख्य अभियंता-2 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इसी बीच श्री भारती से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर मामले की समग्र समीक्षा करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0-1013 दिनांक 12.04.2024 द्वारा श्री भारती के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को यथावत रखते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

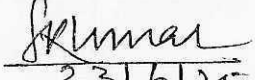
3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 19 अनु0 दिनांक 08.01.2025 द्वारा श्री भारती के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने श्री भारती, तदेन सहायक अभियंता के द्वारा समर्पित बचाव बयान से सहमत होते हुए इनके विरुद्ध लगाये गये सभी आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री भारती को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4167 दिनांक 15.04.2025 द्वारा प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त किया गया।

5. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री भारती, तदेन सहायक अभियंता को दिनांक 10.01.2023 को निलंबित किया गया था तथा दिनांक 12.04.2024 को उन्हें निलंबन मुक्त किया गया। उक्त निलंबन से मुक्ति संबंधित आदेश के अनुपालन में श्री भारती द्वारा दिनांक 12.04.2024 के अपराह्न में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित किया गया। संघारित अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री भारती दिनांक 10.01.2023 से दिनांक 12.04.2024 तक निलंबनावधि में रहकर निर्धारित कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज किये हैं।

6. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 11(3) एवं 11(4) में वर्णित प्रावधानों के तहत श्री रंजीत कुमार भारती, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया सम्प्रति सहायक अभियंता, जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, आरा का निलंबनावधि दिनांक 10.01.2023 से 12.04.2024 तक का सेवा विनियमन कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में किया जाता है। उक्त अवधि में अनुमान्य पूरे वेतन एवं भत्ते का भुगतान देय होगा परन्तु ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में भुगतेय जीवन-निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जाएगा।

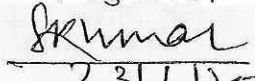
5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


23/6/25
(संजय कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक :-3/अ0प्र0-1-127/2022 6595 /पटना, दिनांक:- 23-6-25

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/6/25
अवर सचिव

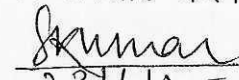
ज्ञापांक :-3/अ0प्र0-1-127/2022 6595 /पटना, दिनांक:- 23-6-25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, ग्रामीण कार्य विभाग, बेगुसराय/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया/श्री रंजीत कुमार भारती, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया सम्प्रति सहायक अभियंता, जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, आरा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5 एवं अन्य संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/6/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :-3/अ0प्र0-1-127/2022 6595 /पटना, दिनांक:- 23-6-25

प्रतिलिपि:- विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


23/6/25
अवर सचिव